मु. नं. 01/2017

10.09.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। प्रार्थी वकील अपने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा बिछावाड़ी पटवार हल्का बिछावाड़ी तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1824,1827,1831,प्रार्थीगण का अलग तरमीमशुदा खातेदारी कब्जा काश्त आया हुआ है। तथा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग का आया हुआ है। खसरा नम्बर 1824,1827,1831 की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा कर जबरन प्रवेश कर उक्त आराजी से बेदखल करने के लिए व पक्का निर्माण कार्य करने को तुले हुए है, पुलिस मुकदमेबाजी भी हुई है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमदा है अगर ऐसा होता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी , इस कारण अप्रार्थीगण को मूल वाद के ताफैसला तक अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
	अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया, कि वादग्रस्त आराजी गेना पुत्र मूला के अकेले की नही होकर संयुक्त परिवार की भूमि है जो मूलाजी के समय की है। जिसे प्रार्थीगण ने अपनी यानि गेना पुत्र मूला के परिवार की होना बताया है जो गलत है। जब प्रथम सर्वे हुआ तब जो काश्तकार संयुक्त परिवार थे उनके संयुक्त सर्वे भूमि दर्ज हुई जो परिवार अलग थे उनके अलग–अलग खातेदारी में दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर हम पुश्तैनी रूप से काबिज काश्त है इसमें हमारी रहवासी ढाणीये बनी हुई है। तथा हमारे बाप दादो से प्राप्त हुई है जो 1/3हिस्से में प्राप्त हुई है। हम पीढीदर पीढी पुश्तैनी हैसियत से काबिज काश्त है हमें बेदखल किया जाता है तो हमें अपूरणीय क्षति होगी जबकि ऐसी क्षति प्रार्थीगण को होना कतई संभव नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार व तथ्यों से अप्रामित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावे।
	हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण [illegible] जारी की जाती है कि मौजा बिछावाड़ी पटवार हल्का [illegible] के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 1824,1827,1831 भूमि [illegible] राजस्व रेकर्ड [illegible] यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] नम्बर से कम। एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।
	(हस्ताक्षर)
	सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.25 15:08:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner